न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवाँ जिला बून्दी(राज0)

वादपत्र:-88 / 2019 दायर दिनांक: 15.07.2019

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

1. जगदीश आत्मज ऊंकार जाति धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
2. पुष्पा बाई बैवा ऊंकार जाति धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।

-वादीगण

बनाम

1. गुलाब बाई पत्नि हीरालाल जाति धाकड निवासी चौरू थाना अलीगढ़ जिला टोंक।
2. भोमा आत्मज धन्ना जाति धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
3. फरमा बाई बैवा धन्ना जाति धाकड़ निवासी मानपुरा तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. मांगीबाई पुत्री धन्ना जाति धाकड़ निवासी मानपुरा हाल पत्नि धनराज जाति धाकड़ निवासी रजलावता तहसील नैनवां जिला बून्दी।
5. श्रीमान शाखा प्रबन्धक महोदय, एसबीबीजे हाल एसबीआंई शाखा नैनवां।
7. श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील नैनवां।

-प्रतिवादीगण

वाद-पत्र - अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट एवं
136 एल.आर. एक्ट

उपस्थितिः-

1. वादीगण के अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह नरूका एडवोकेट।

निर्णय दिनांक 09.10.2020

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम मानपुंरा तहसील नैनवां जिला बून्दी की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 03 की कृषि भूमि खसरा सं. 107 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं. 108 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 109 रकबा 02 बीघा, खसरा सं. 110 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं. 111 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 112 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं. 113 रकबा 16 बिस्वा, खसरा सं. 114 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 115 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 116 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 117 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 118 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 119 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं. 120 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं. 121 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 122 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 123 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं. 124 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं. 125 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 126 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं. 127 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 128 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 129 रकबा 01 बीघा, खसरा सं. 132 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 133 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 134 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 135 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 136 रकबा 01 बीघा, खसरा सं. 137 रकबा 01 बीघा 13 बिस्वा कुल किता 29 कुल रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि स्थित है। इसी प्रकार ग्राम पाई पटवार हल्का फूलेता तहसील नैनवां की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 के खाता सं. 8 के खसरा सं. 55 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं. 60 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 61 रकबा [illegible] बिस्वा, खसरा सं. 63 रकबा 01 बींघा, खसरा सं. 64 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 65 [illegible] बिस्वा, खसरा सं. 66 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा [illegible] सं. 62 से सिंचित होती है। वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में [illegible] पिता व पति मृतक ऊंकार का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:58:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

1/2 निहित था तथा ऊंकार की मृत्यु के बाद वादीगण का उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा निहित है तथा वादीगण उक्त भूमि पर काबिज होकर फसल बोते व काटते चले आ रहे है। जगदीश के पिता ऊंकार का विवाह प्रतिवादिया सं. 1 गुलाब बाई के साथ सम्पन्न हुआ था। इनसे उत्पन्न संतान जगदीश है, जगदीश की आयु 6–7 वर्ष होने पर ही वादी की माता प्रतिवादी सं. 1 गुलाब बाई वादी और उसके पिता का परित्याग कर ग्राम चोरूं में हीरालाल धाकड़ के नाते चली गई थी। उसके कुछ समय बाद ही वादी सं. 1 के पिता ऊंकार ने वादिया पुष्पा बाई से नाता कर उसको अपनी पत्नि बनाकर रखा तथा पुष्पा बाई द्वारा ही वादी सं. 1 का पुत्र की भांति लालन पालन किया गया। वादिया पुष्पा बाई एवं ऊंकार से कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। अतः ऊंकार का पुत्र जगदीश व पत्नि पुष्पा बाई वारिसान है। ऊंकार के जीवित काल में करीब 60 वर्षो तक गुलाब बाई का वादीगण के परिवार पिता व पति से कोई सम्बंध नहीं रहा है तथा प्रतिवादिया सं. 1 गुलाब बाई मृतक ऊंकार के प्रति किसी प्रकार का कोई कानूनन अधिकार नहीं रखती है। ऊंकार के देहान्त होने के करीब 2 माह पश्चात वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने पर जानकारी में आया कि प्रतिवादिया गुलाब बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज कर लिया गया हैं, जो कानूनन नियम विरूद्व है। वादीगण प्रतिवादी सं. 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहता है कि प्रतिवादी सं. 1 वादीगण की खातेदारी व आधिपत्य की वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित 1/2 हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे, फसल बोने व काटने में हस्तक्षेप नहीं करें, उक्त भूमि को खुर्दबुर्द व हस्तानांतरित नहीं करें, रहन व बेचान नहीं करें। चुंकि प्रतिवादी सं. 1 गुलाब बाई काफी वर्षो से ग्राम चोंरू में बतोर हीरालाल की पत्नि निवास कर रही है। गुलाब बाई के हीरालाल से 2–3 संतानें है, जिससे गुलाब बाई का सम्पूर्ण हक अधिकार हीरालाल की सम्पत्ति में निहित है। अतः वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रतिवादी सं. 1 गुलाब बाई का वारिसान के रूप में उक्त भूमि में अवैध रूप से दर्ज नाम को हटाया जाकर इन्द्राज दुरूस्त करवाकर इस आशय का अंकन समस्त राजस्व रिकॉर्ड व जमाबन्दी में करवायें।

वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में चरण सं. 1 व 2 में वर्णित भूमियो की जमाबन्दियां, नक्शा ट्रेश, शपथ–पत्र आदि पेश किये है। तहसीलदार नैंनवा से प्राप्त जवाब में वादपत्र की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित भूमि में वादीगण कें पिता व पति ऊंकार का हिस्सा 1/2 निहित होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी सं. 1 गुलाब बाई का नाम नियमानुसार जर्ये नामांतकरण सं. 531 दिनांक 05.03.2019 से दर्ज हुआ है।

हमने वादपत्र, साक्ष्य वादी में गवाहान के बयान रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया तथा बहस एक पक्षीय सुनी गई। उक्त साक्ष्यों के आधार पर साबित होता है कि ग्राम मानपुंरा तहसील नैंनवां जिला बून्दी की जमाबन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 03 की कृषि भूमि खसरा सं. 107 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं. 108 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा सं. 109 रकबा 02 बीघा, खसरा सं. 110 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा, खसरा सं. 111 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 112 रकबा 11 बिस्वा, खसरा सं. 113 रकबा 16 बिस्वा, खसरा सं. 114 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 115 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, खसरा सं. 116 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 117 रकबा 13 बिस्वा, खसरा सं. 118 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 119 रकबा 04 बिस्वा, खसरा सं. 120 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं. 121 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 122 रकबा 01 बिस्वा, खसरा सं. 123 रकबा 01 बीघा 06 बिस्वा, खसरा सं. 124 रकबा 08 बिस्वा, खसरा सं. 125 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 126 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं. 127 रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 128 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 129 रकबा 01 बीघा, [illegible] 132 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, खसरा सं. 133 रकबा 15 बिस्वा, खसरा सं. 134 रकबा [illegible] खसरा सं. 135 रकबा 01 बीघा 17 बिस्वा, खसरा सं. 136 रकबा 01 बीघा [illegible] बीघा 13 बिस्वा कुल किता 29 कुल रकबा 26 बीघा 19 बिस्वा भूमि [illegible] हल्का फूलेता तहसील नैंनवां की

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:38:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवाँ (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...बन्दी सम्वत् 2075–78 के खाता सं. 8 के खसरा सं. 55 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, खसरा सं. ... रकबा 17 बिस्वा, खसरा सं. 61 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, खसरा सं. 63 रकबा 01 बीघा, खसरा सं. 64 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 65 रकबा 02 बिस्वा, खसरा सं. 66 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा कुल किता 07 कुल रकबा 09 बीघा स्थित है, जो चाह सं. 62 से सिंचित होती है, में वादीगण को 1/2 हिस्से में हिस्सेदारी दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः ग्राम मानपुरा पटवार मण्ड़ल खानपुरा एवं ग्राम पाई पटवार हल्का फूलेता तहसील नैंनवां जिला बून्दी राजस्थान की उक्त वर्णित भूमियों में वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है तथा राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज प्रविष्टी गुलाब बाई पत्नि हीरालाल धाकड़ निवासी चोरूं जिला टोंक राजस्थान के नाम का विलोपित कर वादीगण का नाम इन्द्राज जमाबन्दी में खातेदार कृषक के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि उक्त कृषि भूमि पर वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप ना तो स्वंय करें और ना ही ऐसा किसी अन्य से करावें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी
नैंनवाँ

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2021.01.15 12:58:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner